

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

सं०सं०-13/स्था०-01-07/2024

श्री अशर्फी ठाकुर, (J-8325), तत्कालीन कनीय अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर (सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2021) द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत दिनांक 01.02.2022 को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्णता की बाध्यता से विमुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया। सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई किये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का निम्न परामर्श प्राप्त है :-

“किसी सरकारी सेवक को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति उसके 50 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत उसके सेवाकाल में उसके द्वारा समर्पित आवेदन की तिथि से ही दी जा सकती है। विचाराधीन मामले में श्री ठाकुर द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में श्री ठाकुर के मामले में निर्णय लेने हेतु प्रशासी विभाग स्वयं सक्षम है।”

अतएव उक्त मंतव्य के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री अशर्फी ठाकुर, (J-8325), कनीय अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्णता से विमुक्ति हेतु समर्पित आवेदन को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं०-3127 दिनांक 06.03.2018 की कड़िका-3 में निहित प्रावधान के तहत अस्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

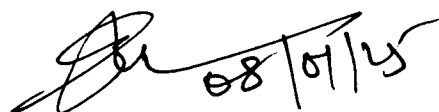
ज्ञापांक - पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर (प० चम्पारण)/ श्री अशर्फी ठाकुर, (J-8325), सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्राम-गुजरवलिया, पो०-मलाही, जिला-मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 1124 पटना/दिनांक - 09.01.2025

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।